राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–872/2025

आरती यादव

–अपीलार्थी

बनाम

प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर,
राजस्थान एवं अन्य

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.01.2025
आदेश की दिनांक : 13.02.2025
उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुधीर गुप्ता, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : सुश्री राधिका महरवाल, अति.राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई। अपीलार्थी की ओर से संशोधित अपील प्रस्तुत की गई है एवं संशोधित अपील रिकॉर्ड पर लेने के लिए प्रार्थना की गई। प्रार्थना स्वीकार कर संशोधित अपील संशोधित अपील रिकॉर्ड पर ली जाती है।

2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में उप निदेशक के पद पर उप निदेशक उद्यान, अजमेर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन/ स्थानांतरण उप निदेशक उद्यान, ब्यावर में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि अपीलार्थी स्वयं मेरूदण्ड में स्नायु रोग से पीड़ित है जिसमें एल–3 और एल–4 में गेप कम है और महिला रोग से ग्रसित है, जिसका निरंतर ईलाज चल रहा है। उनका आगे कथन है कि अपीलार्थी के ससुर, जिनकी आयु 76 वर्ष है, लंबे समय से बीमार है और बेड रेस्ट पर है। अपीलार्थी की सास भी बीमार रहती है। ऐसें अपीलार्थी का स्थानांतरण किये जाने से

अपीलार्थी को विभिन्न पारिवारिक और व्यक्तिगत समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।

3. हमनें अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।

4. हम पाते हैं कि अपीलार्थी का स्थानांतरण आदेश प्रशासनिक आवश्यकता में पारित किया गया है। स्थानांतरण आदेश के अवलोकन से प्रकट होता है कि उक्त आदेश पारित किये जाने में किसी प्रकार की कोई दुर्भावना नहीं रही है। जहां तक अपीलार्थी की व्यक्तिगत परिशानियों का संबंध है तो उक्त परेशानियों के आधार पर स्थानांतरण आदेश में अधिकरण द्वारा हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह प्रसाशनिक आवश्यकता में अपने किस कर्मचारी की सेवा किस स्थान पर प्राप्त करें। नियोक्ता द्वारा लिये गये निर्णय में इस अधिकरण द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है, जब तक कि आदेश दुर्भावनापूर्ण पारित किया गया हो। जहां तक अपीलार्थी की व्यक्तिगत परेशानियों को संबंध है तो अपीलार्थी इस संबंध में प्रत्यर्थी विभाग के संमक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए सदैव स्वतंत्र है।

5. उपरोक्त विवेचना के आधार पर इस अपील में कोई बल नहीं होने से अपील खारिज की जाती है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
(अध्यक्ष)